IJAER/March-April 2019/Volume-7/Issue-5/Article No-1/1-4 ISSN: 2278-9677

International Journal of Arts & Education Research

भारत मे अनुसूचित जाति-जनजाति का अधिकार है आरक्षण

Shailendra Pratap Singh
CLM Inter College
Jani Khurd Meerut
M.A.(Sociology, Pol.Science, Education)

भारतीय समाज में हजारों वर्षो से व्याप्त सामाजिक-आर्थिक, असमानताओं और पिछड़ों को दूर करने के उद्देश्य से संविधान निर्माताओं ने सामाजिक न्याय को ध्यान में रखकर शोषित-दमित, पंडित-प्रताडित और वंचित-बहिष्कृत पिछड़े-शूद्रों को सामाजिक समानता प्रदान हेतु संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया है। सामाजिक नियम बन्धनों के कारण विगत हजारों वर्षो से शोषित-दमित इन वर्गो के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उन्नयन के लिए विशेष व्यवस्था "आरक्षण" की आवश्यकता है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रत्येक शब्द आदर योग्य और अनुकरणीय है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता जैसे- सारगर्भित शब्द पिछड़े-शूद्रों के उन्नयन के लिए अचूक औषधि है। संविधान के भाग-३ में मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत समानता के अधिकार के अनुच्छेद-१५ में वर्णित है कि "राज्य किसी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इसमें से किसी के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा"। परन्तु सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों वर्गो के लिए अनुच्छेद १५(४) में विशेष प्राविधान किया गया है कि - "इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद-२६(२) में कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछडे हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गो की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।" उसी प्रकार लोक नियोजन ने अवसर की समानता के लिए अनुच्छेद-१६ में उपबंध है कि - "राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्त से सम्बन्धित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी और कोई भी व्यक्ति धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान पर उपेक्षित नहीं किया जायेगा। वर्तमान आरक्षण के संदर्भ में विशेष स्थान है कि अनुच्छेद-१६(४) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछडे हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिकए विशेष प्रावधान कने से नहीं रोकेगी।" संविधान के भाग-४ में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में सामाजिक न्याय, लोककल्याण, अवसर की समानता, शोषण के विरूद्ध संरक्षण, स्त्री-पुरूष में समानता आदि को रखा गया है।[१]

अगर पिछले ६५ वर्षो में भारत अपने अंदरूनी दोषों को सुधारने की क्षमता दिखाने वाला है और दुनियाँ के दबाव के बावजूद अपनी पहचान बना रहा है तो इसमें राजनीतिक समानता और विधायिका, कार्यपालिका और शिक्षा में आरक्षण के जरिये विशेष अवसर द्वारा शुरू सामाजिक क्रान्ति का असाधारण योगदान है। इसीलिए आरक्षण के सिद्धान्त तथा दार्शनिक और समाजशास्त्रीय आधार को लेकर अस्पष्ट दृष्टि का पूरे देश में विस्तार होना चाहिए। यह हमारे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का सबसे असरदार आयाम है। संविधान के अनुच्छेद १५(४) और १६(४) में जाति प्रथा के कारण मृतप्राय हो चुके एक आत्मविश्वासविहीन और विखण्डित समाज को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय की नई बुनियाद पर फिर से प्राणवान और महत्वकांक्षी बनाने में सफलता पाई है। इसकी वैधानिकता की हमारे न्यायालयों ने बार-बार पुष्टि की है। आरक्षण की वैज्ञानिक व्यवस्था के बिना हम सहभागी लोकतंत्र का सपना पूरा नहीं कर सकते।

आरक्षण कोई चिरस्थायी व्यवस्था न होकर एक अल्पकालीन अवश्य है "जब देश का सामान्य नियम कानून निर्धारित लक्ष्य पाने में असफल हो जाता है तब देश आरक्षण की तकनीकी को अपनाता है। जिससे निम्न वर्गो के हितों को उच्च स्थिति प्रदान कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। जिस प्रकार कीचड़ में फसी गांडी को बाहर निकालने के लिए स्पेशल गियर की आवश्यकता होती है और कीचड से बाहर निकलते ही सामान्य गीयर कार्यरत हो जाता है। उसी प्रकार सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गो को सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण एक स्पेशल गीयर है जैसे ही सामाजिक असमानता समाप्त हो जायेगी आरक्षण स्वतः समाप्त हो जायेगा।"[२]

भारतीय संविधान मे आरक्षण का प्रावधान दलित-आदिवासी आदि वंचित तबकों के शिक्षा, रोजगार आदि क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए किया गया। सभी तबको को उचित प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। आरक्षण मात्र हो या

पदोन्नति में आरक्षण, इस मुद्दे पर हमें मूलतः यह सोचना है कि आरक्षण को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने मे कितनी सफलता मिली और कितनी शेष है। आरक्षण दुनियाँ भर में सामाजिक असमानता दूर करने के उपायों में सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय के रूप में देखा जा रहा है। आरक्षण लागू होने से आजादी बाद की आधी सदी में निश्चित तौर पर दलितों की जीवन-स्थितियों में व्यापक बदलाव आये है। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आरक्षण अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए निर्धारित १५ और ७.५ प्रतिशत आरक्षण को अभी पूरी तरह लागू नही किया जा सका है।

अनुसूचित जाति/जनजाति का अधिकार है आरक्षण -

इस समय देश में आरक्षण मुख्य मुद्दा बना हुआ है। पदोन्नति में आरक्षण को लेकर एक गंभीर बहस छिड़ी हुई है। कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर दिया है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने २१ अगस्त, २०१२ को सर्वदलीय बैठक बुलायी थी और उसमें भी तय हुआ कि पदोन्नति में आरक्षण को लेकर संवैधानिक संशोधन की जरूरत है। संसद में ५१ पार्टियाँ है, जिसमें समाजवादी पार्टी को छोडकर सभी ने पदोन्नति में आरक्षण का समर्थन किया है। सवर्णो में जलन है कि कम योग्यता पर अनुसूचित जाति/ जनजाति के लोग नौकरी में आ जाते है और साथ ही पदोन्नति में आरक्षण भी ले लेते है। कई जगह पर भ्रम है कि आरक्षण की व्यवस्था १० वर्षो के लिए की गई थी। वस्तविकता यह है कि राजनीति में आरक्षण १० वर्षो के लिए है न कि सरकारी नौकरियों में। आरक्षण पूरा ही नहीं हो पाया है तो यह कहना कि कब तक इन्हें आरक्षण मिलता रहेगा, भेदभाव की सोच है। इसको नैतिक मूल्यों में ह्रास की संज्ञा दी जा सकती है।

तालिका-१

प्रशासनिक सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की स्थिति[३]

पदनाम	सचिव	अपर सचिव	संयुक्त सचिव	निदेशक
कुल अधिकारी	१४६	१०८	४७७	५६०
अ०जा० (:)	- (०:)	०२ (१.६:)	३१ (६.५:)	१७ (२.६:)
अ०ज०जा० (:)	०४ (२.७:)	०२ (१.६:)	१५ (३.१:)	०७ (१.२:)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि भारत सरकार में १४६ सचिव हैं जिनमें एक भी अनुसूचित जाति का नहीं है। १०८ अतिरिक्त (अपर) सचिव में केवल दो अनुसूचित जाति के है, ४७७ कनिष्ठ सचिव है जिसमें केवल ३१ अनुसूचित जाति के है। इसी तरह से ५६० निदेशकों में १७ इस वर्ग से है। कौन नहीं जानता है कि सारे नितीगत फैसले सचिव एवं अतिरिक्त सचिव के हस्ताक्षर पर ही होते है। फिर प्रशासनिक क्षमता के लिए कौन जिम्मेदार है दलित या जो उच्च पदों पर है? आरक्षण विरोधी बताए कि आजादी के बाद से लेकर अब तक १५ प्रतिशत आरक्षण पूरा क्यों नही हो पाया है? क्या कभी उन्होंने दलितों को अपना ही भाई समझ कर मांग की कि आरक्षण अभी तक पूरा क्यों नही हो पाया? केवल चतुर्थ श्रेणी में कोटा पूरा ही नहीं, बल्कि थोडा ज्यादा भी है। और उसका कारण है कि सफाई के काम में सवर्ण भर्ती नही होते।

तालिका-२

शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न पदो पर अनुसूचित जाति/जनजाति की स्थिति[४]

पदनाम	प्रोफेसर	रीडर	प्रवक्ता
कुल संख्या	१८६४	३५३३	६६८८
अनुसूचित जाति	१४	३८	३७२
अनुसूचित जनजाति	११	२३	२२३

उपरोक्त तालिका में शिक्षा जगत की स्थिति का आंकलन किया जा सकता है। कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की उपेक्षा होती आ रही है। कुल १८६४ प्रोफेसर में से १४ अनुसूचित जाति और ११ जनजाति के है। इस तरह से रीडर के पद पर ३८ अनुसचित जाति के और २३ अनुसूचित जनजाति के है जबकि कुल संख्या ३५३३ है। प्रवक्ता के पद पर भी स्थिति आरक्षण के अनुपात से दयनीय है। कुल ६६८८ प्रवक्ताओं में से ३७२ अनुसूचित जाति और २२३ अनुसूचित जनजाति के है। जिस तरह से नौकरशाही में फैसला लेने के स्तर पर दलित नहीं है उसी तरह से शिक्षा जगत में भी स्थिति है। फिर शिक्षा जगत में गिरावट के लिए कौन जिम्मेदार है? दलितों को आरक्षण मिला है तो देश की मुख्य धारा मे शामिल होने के लिए। निजीकरण एवं

भूमण्डलीयकरण की वजह से सरकारी नौकरियाँ दिन-प्रतिदिन समाप्त हो रही है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की तरक्की जो भी हुई है वह राजनीति एवं सरकारी सेवाओं में आरक्षण की वजह से। निजी क्षेत्र अब बहुत बड़ा हो गया है। जिसमें इनकी भागीदारी नहीं के बराबर है। ऐसे में आरक्षण पर आपत्ति जताने वालों को देश के बारे में एक बार सोचना पडेगा। क्या इतनी बड़ी आबादी को राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग करके अखण्ड और मजबूत देश बनाया जा सकता है?

सुप्रीम कोर्ट का नजरिया यहां उचित प्रतीत नही होता है, क्योंकि जो तीन शर्ते उसने लगाई है उसकी जरूरत नहीं है। संवैधानिक संशोधनों ने पदोन्नति में आरक्षण के लिए कही अगर-मगर नहीं लगाया गया, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने शर्ते लगा दी। सुप्रीम कोर्ट की पहली शर्त है कि पदोन्नति में कांसीक्वेशियल सीनियरिटी का फायदा तभी मिल सकता है जब अनुसूचित जाति/जनजाति का समुचित प्रतिनिधित्व न हो। अर्थात यह जॉच की जाये कि ये पिछडे है कि नहीं। दूसरी शर्त नौकरियों में अनुसूचित जाति/जनजाति के पिछडेपन का समुचित डाटा उपलब्ध हो। अर्थात आरक्षण में दक्षता पर असर नहीं पडना चाहिए। अभी तक ऐसा प्रमाणित करने वाला उदाहरण देश में देखने को नहीं मिला है। तमिलनाडु में आरक्षण ६९ प्रतिशत तक है। शायद इसी वजह से वह कानून एवं व्यवस्था, शिक्षा व स्वास्थ्य आदि के मामलों में आगे है। तीसरी शर्त, इससे प्रशासनिक दक्षता प्रवाहित नहीं होती हो। अर्थात प्रतिनिधित्व की जॉच करने के लिए कहा गया है।[५] आंकड़े स्पष्ट करते है कि आरक्षण पूरा हुआ ही नहीं है तो सीमा लांघने की बात कहां पैदा होती है?

पदोन्नति में आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता -

भारत में पदोन्नति में बढ़ती तांग अपने चमोत्कर्ष पर है। पूर्व में खाली पड़े पदों की पूर्ति न कर पाना बहुत बडी समस्या बनी हुई है। यह भारत की नौकरशाही में उच्च पदों पर आसीन मनुवादी मानसिकता का परिचायक है। पदोन्नति में आरक्षण के लिए संविधान संशोधन ११७वां करने की आवश्यकता है। केन्द्रीय कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों की पदोन्नति में अनुसूचित जाति/जनजाति को आरक्षण के लिए संकेत के दिए परन्तु राजनीतिक दलों ने जातिगत समीकरणों को आधार बनाकर इसे राज्य सभा से भी पास नहीं होने दिया। समाजवादी पार्टी के प्रो० रामगोपाल पदोन्नति में आरक्षण को असंवैधानिक बता रहे है। उनका तर्क है कि इसे गैर अनुसूचित जाति/अुनसूचित जनजाति के लोगों के साथ अन्याय होगा।[६] पदोन्नति में आरक्षण की मूल भावना को समझे बिना विरोध करना अनुचित है। इस आरक्षण का लक्ष्य वहां तक भागीदारी पाना है, जहां नीतियों का निर्माण होता है। नीति-निर्धारण में भूमिका निभाए बिना सामाजिक बराबरी असंभव है। संविधान के अनुच्छेद-३३५ में भी कहा गया है कि सभी सेवाओं और पदो पर आरक्षण दिया जायेगा। फिर पदोन्नति में आरक्षण का विरोध सर्वथा अनुचित और उस पर सवाल उठाना भी गौण हो जाता है। हाल में आए सुप्रिम कोर्ट के फैसले को भ्रांतिपूर्ण तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कोर्ट ने आरक्षण को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया है जबकि कोर्ट ने महज उत्तर प्रदेश सरकार के अधिनियम की धारा ३(४) असंवैधानिक करार दिया है न कि पदोन्नति में आरक्षण को। इसमें इलाहाबाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताये गये मानदण्ड़ों का पालन नही किया गया है। कोर्ट ने कही भी पदोन्नति में आरक्षण को गलत नहीं बताया है।[७] समाजवादी पार्टी के अलावा सभी राजनीतिक दल इसके पक्ष में है अब देखना यह होगा कि यह पारित होता है या नहीं।

निष्कर्षतः भारत में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या का मुख्य कारण खाली पड़े पदों को पिछले कई वर्षो से भरा नहीं जा सका है। आरक्षण संवैधानिक होने पर भी निरन्तर अनदेखा किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में 'गरीबी हटाओ' का नारा देकर कांग्रेस की श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सत्ता प्राप्त की थी। इसके पूर्व भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ज्वाहरलाल नेहरू ने 'समाजवाद' के नारे के माध्यम से २० वर्षो तक शासन किया। भारत की ७० प्रतिशत आबादी अभी भी भरपेट खाना नहीं खा पाती। गरीबी और विषमता घटने के बजाय बढ गयी है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति के अनुसार भारत में ३७.२ प्रतिशत गरीब है। यह आंकडा २००४-०५ में किये गये २७.५ प्रतिशत के आंकलन से करीब १० प्रतिशत अधिक है। भारत की गरीब जनता को सरकार कभी मोबाईल देने की बात करती है तो कभी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में रोजगार की सीमा १०० दिन से १५० दिन की सीमा बढाने और कभी बरोजगारी भत्ते को आगामी सरकार बनने पर दोगुना करने की। अनुसूचित जाति/जनजाति की निम्न दशा को सकारात्मक दिशा आरक्षण व पदोन्नति के माध्यम से सम्भव है। भारत घोषणा कर चुका है कि २०२० तक गरीबी प्रतिशत आधा हो जायेगा। रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होगें तथा शत-प्रतिशत शिक्षा होगी। परन्तु इन वर्गो के साथ होते अन्याय को हमेशा अनदेखा आखिर क्यों किया जा रहा है? इन वर्गो को मुख्य धारा से जोडे बिना भारत समृद्ध राष्ट्र का निर्माण असंभव है।

संदर्भ सूची

१. डी.डी. बसु- भारत का संविधान एक परिचय, प्रेन्टीश हॉल ऑफ इण्डिया प्रा०लि० नई दिल्ली, २००६, पृ०- ६१-६६
२. श्री कुसुम लाल यादव आरक्षण के पीठ में आर्थिक कटार, श्याम प्रेस मुरलीगंज, १६६१, पृ०-२
३. राष्ट्रीय सहारा, हस्तक्षेप, १५ सितम्बर, २०१२, पृ०-१
४. उपरोक्त, पृ०- १
५. दैनिक जागरण, १२ सितम्बर, २०१२, पृ०- १०
६. दैनिक जागरण, ६ सितम्बर, २०१२ पृ०- १०
७. राष्ट्रीय सहारा, हस्तक्षेप, १५ सितम्बर, २०१२, पृ०- २